

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-3/सं./तीस/2003 – छत्तीसगढ़ सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (क्र. 17 सन् 1952) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ सिनेमा (विनियमन) नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

- नियम 101 के “प्रारूप ड.” के शर्ते तथा निबंधन में निबंधन 1 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए।
“(घ) प्रत्येक सिनेमा गृह, विडियो पार्लर और चल सिनेमा गृह में प्रतिदिन प्रत्येक शो में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कम से कम दो स्लाइड्स/संदेश निशुल्क प्रदर्शित किया जाएगा। अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा इस शर्त का पालन न किए जाने के मामले में उनकी अनुज्ञाप्ति तत्काल निरस्त की जा सकेगी।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

नम्बर 11/03/03
जयसिंह महस्के, उपसचिव

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ 6-3 /सं./तीस/2003— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/सं./तीस दिनांक 11 सितम्बर, 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

नम्बर 11/03/03
जयसिंह महस्के, उपसचिव

Raipur, dated 11 September 2003

Notification

No F 6-3/Culture/XXX/2003 – In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Chhattisgarh Cinema (Regulation) Act, 1952 (No. XVII of 1952), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Cinemas (Regulation) Rules, 1972, namely :-

Amendment

- In the said rules, -
1. After clause (c) in term 1 in conditions and restrictions of "Form E" of rule 101 the following clause (d) shall be inserted.

"(d) The free exhibition of atleast two slides/messages regarding environmental conservation, shall be compulsory in every show in every cinema theatre, video parlour and touring cinema. In case of non compliance of the condition by the licence holders their licence may be cancelled immediately."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

11/09/03
Jai Singh Mhaskey, Deputy Secretary